बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या –11/मा0 प्लान सेल–16/2014 (पार्ट–1)...764.../न0वि0एवंआ0वि0। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन सेवा में भर्ती एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नांकित नियमावली बनाते हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**।–(1) यह नियमावली "बिहार नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन सेवा नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी।
2. **परिभाषाएँ**।–जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–
   (i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
   (ii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, बिहार राज्यपाल;
   (iii) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है, नगर विकास एवं आवास विभाग;
   (iv) "विभाग" से अभिप्रेत है, नगर विकास एवं आवास विभाग;
   (v) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग;
   (vi) "सेवा" से अभिप्रेत है, बिहार नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन सेवा;
   (vii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, बिहार नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन सेवा संवर्ग;
   (viii) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अभिप्रेत है विभाग द्वारा अधिसूचित विभागीय प्रोन्नति समिति।
3. **सेवा का गठन**।–(1) इस सेवा में निम्नांकित कोटि के पद होंगे–

क्र0	पद का नाम	स्तर	प्रास्थिति
(i)	सहायक नगर निवेशक	मूल कोटि	राजपत्रित
(ii)	एसोसिएट नगर निवेशक	प्रथम प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
(iii)	वरीय नगर निवेशक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित
(iv)	मुख्य नगर निवेशक	तृतीय प्रोन्नति स्तर	राजपत्रित

   (2) इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से उक्त कोटियों में नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः इस संवर्ग में शामिल समझे जायेंगे।
   (3) इन पदों का स्वीकृत बल वही होगा जैसा, समय–समय पर, राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।
   (4) इन पदों का वेतनमान/वेतन–स्तर वही होगा जैसा, समय–समय पर, वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।
4. **आरक्षण**।–सेवा या संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, अवधारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।
5. **सीधी भर्ती**।–सहायक नगर निवेशक के शत प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती विभागीय अधियाचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा/साक्षात्कार आयोजित कर चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा नियुक्ति हेतु विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
6. **अर्हता**।–किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से टाउन प्लानिंग/रिजनल/अर्बन प्लानिंग/सिटी प्लानिंग/कंट्री प्लानिंग/ट्रांसपोर्ट प्लानिंग/हाउसिंग/इन्भारमेंटल प्लानिंग में स्नातकोत्तर डिग्री या समकक्ष योग्यता।
7. **परिवीक्षा एवं अवधि**।–सीधी भर्ती से नियुक्त सहायक नगर निवेशक की नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि होगी। विशेष परिस्थिति में परिवीक्षा अवधि एक वर्ष तक के लिए बढ़ायी जा सकेगी, परन्तु विस्तारित अवधि में कार्यकलाप संतोषजनक नहीं होने पर उन्हें सेवा–मुक्त किया जा सकेगा।

8. **प्रशिक्षण।**—विभाग एवं अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा:

परन्तु, अधिकृत प्रशिक्षण संस्थान द्वारा, ससमय अथवा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण का आयोजन नहीं किये जाने पर प्रोन्नति बाधित नहीं होगी।

9. **सम्पुष्टि।**—नवनियुक्त सहायक नगर निवेशकों द्वारा विभागीय दायित्व पूर्ण करने एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त कार्य एवं आचरण संतोषजनक पाये जाने पर सहायक नगर निवेशक के पद पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

10. **प्रोन्नति।**— इस सेवा के मूल कोटि से ऊपर के सभी पद प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। किसी भी पद से उच्चतर पद पर प्रोन्नति का मानदंड वरीयता–सह–योग्यता (Seniority cum Merit) होगा। प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड एवं कालावधि के प्रावधान लागू होंगे।

11. **अवशिष्ट मामले।**— इस नियमावली में जिन विषयों के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं किये गये हैं, उन विषयों के संबंध में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कार्मिकों के संबंध में किए गए प्रावधानों से इस सेवा के सदस्य भी शासित होंगे।

12. **अनुशासन एवं अपील।**—सेवा के सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

13. **कठिनाइयों का निराकरण।**— यदि इस नियमावली के उपबंधों के प्रभावी बनाने में कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हो और जिन्हें कठिनाइयों के निराकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक या समीचीन समझा जाय।

14. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**— (1) नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन के पदों एवं सेवा के संबंध में पूर्व निर्गत नियम, निर्देश एवं परिपत्र निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व निर्गत नियम, निर्देश एवं परिपत्र के प्रावधानों के प्रयोग में की गई कोई भी कार्रवाई इस नियमावली के अधीन की गई समझी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

18/6/2019

(चैतन्य प्रसाद)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–**11/मा0 प्लान सेल–16/2014 (पार्ट–1)** 764 /न0वि0आ0वि0, पटना/दिनांक–19/6/19

प्रतिलिपि :– ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जाय।

18/6/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–**11/मा0 प्लान सेल–16/2014 (पार्ट–1)** 764 /न0वि0आ0वि0, पटना/दिनांक–19/6/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की दिनांक–11.06.19 की बैठक में मद संख्या–08 के रूप में स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/2019

सरकार के प्रधान सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

ज्ञापांक–**11/मा0 प्लान सेल–16/2014 (पार्ट–1)** 764 /न0वि0आ0वि0। "बिहार नगर तथा क्षेत्रीय निवेशन सेवा नियमावली, 2019" का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद, 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
18/6/2019
(चैतन्य प्रसाद)
सरकार के प्रधान सचिव।

/764/ Patna, Dated. 19/6/19

File no:- 11/Ma-Plan Cell-16/2014(Part1) In exercise of the powers conferred by Proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the requirement and service conditions of the Town and Country Planning Service under the Urban Development and Housing Department:-

2. **Short title, extent and commencement**.- (1) These Rules may be called the Bihar Town and Country Planning Service Rules, 2019.
(2) It shall extent to the whole State of Bihar.
(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.

2. **Definition**.-In this rules unless otherwise required in the context.-
(i) "State Government" means the Government of Bihar;
(ii) "Appointing Authority" means the Governor of Bihar;
(iii) "Cadre Controlling Authority" means the Urban Development and Housing Department;
(iv) "Department" means the Urban Development and Housing Department;
(v) "Commission" means the Bihar Public Service Commission;
(vi) "Service" means the Bihar Town and Country Planning Service;
(vii) "Cadre" means the Bihar Town and Country Planning Service Cadre.
(viii) "Departmental Promotion committee" means the Departmental Promotion committee notified by the Department.

3. **Constitution of Service**.-(1)The following category of post shall be in this Service.-

Sl. No.	Name of the post	Level	Status
(i)	Assistant Town Planner	Basic Category	Gazetted
(ii)	Associate Town Planner	First Promotional Level	Gazetted
(iii)	Senior Town Planner	Second Promotional Level	Gazetted
(iv)	Chief Town Planner	Third Promotional Level	Gazetted

(2) Persons appointed and working in the above categories prior to the application of these Rules shall be deemed to be included automatically in this cadre.
(3) The sanction strength of these posts shall be same as it may be determined by the Government, from time to time.,
(4) Pay scale/Pay Level of these posts shall be the same as it may be decided by the Finance Department from time to time.

4. **Reservation**.-Reservation/ Roster for the Service or Appointment/Promotion in the service or Cadre shall be determined by the State Government, from time to time, shall apply.

5. **Direct recruitment**.-For direct appointment of cent Per cent Posts of Assistant Town Planner in view of Departmental requisition the recommendation of selected candidates shall be made available to the department by the Bihar Public Service Commission after holding the written examination/interview.

6. **Qualification**.-Post graduate degree or equivalent qualification from any recognized University or Institution in the town planning/regional/urban planning/city planning/country planning/ transport planning/ housing/ environment planning

7. **Probation and period**.-Probation period will be two year from the date of appointment by direct recruitment of Assistant Town Planner. The probation may be extend up to one year but they shall be terminated from service on service being not satisfactory in the extend period.

8. **Training**.-All the officers shall be given the training of prescribed training programme by the Department and the authorised Training Centre:

Provided that the promotion shall not be affected due to not holding the training in time by the authorised Training Institute.

9. **Confirmation.**-The newly appointed Assistant Town Planner may be confirm on the post of Assistant Town Planner after completing departmental responsibilities and passing the Departmental Exam and on being found satisfactory completion of the work and character.

10. **Promotion.**- All the above posts of basic category shall be filled up by the promotion and Merit-cum seniority will be criterion for the promotion from lower to the any higher post. Provisions of criterion and kalawadhi determined by the state government shall be applicable in the promotion.

11. **Residue Matters.**-In such matters on which provisions are not made in these Rules, the member of this cadre will be governed by the provisions made in respect of employees of equivalent level of the government.

12. **Conduct and appeal.**-The disciplinary action shall be taken against the members of this service under the provisions of the Bihar Government Employee (Classification conduct and appeal)Rules 2005.

13. **Removal of Difficulty.**-If any difficulties arises in implementation of any provision of these Rules the Government shall make such provision which are not in consistent of the provisions of these Rules and deemed to be necessary and expedient for removal of difficulties.

14. **Repeal and savings**.-(1)All Rules, Circulars and Directions issued in respect of the post and service of the Town and Country Planner Cadre before the commencement of these Rules are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken in exercise of the provision of the Rules, Circulars and Directions shall be deemed to be taken under these Rules.

By the Order of the Governor of Bihar

15/1/2019

Principal Secretary to the Government.

ज्ञापांक–**11/मा0 प्लान सेल–16/2014 (पार्ट–1)** 764 /न0वि0आ0वि0, पटना/दिनांक–19/6/19

प्रतिलिपि :– ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजी जाय।

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–**11/मा0 प्लान सेल–16/2014 (पार्ट–1)** 764............/न0वि0आ0वि0, पटना/दिनांक–19/6/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/सभी पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– श्री अमितेश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की दिनांक–11.06.19 की बैठक में मद संख्या–08 के रूप में स्वीकृति के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/2019

सरकार के प्रधान सचिव।